न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट, जिला – दौसा

पीठासीन अधिकारी :– मिथलेश मीना (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर , लालसोट

राजस्व वाद संख्या :– 364 / 21
रज्जू दिनांक :– 06.01.2021

1. श्रीनारायण
2. खिलारी

} पि0 रामचन्द्र जाति माली , निवासी खटवा, तह0–लालसोट , दौसा।

(वादीगण)

बनाम्

1. छीतर पुत्र रामचन्द्र जाति माली, निवासी ग्राम– खटवा तहसील लालसोट , दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट , जिला – दौसा

(प्रतिवादीगण)

1. श्री पंकज शर्मा अधिवक्ता वादी
2. श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद उदघोषणा

निर्णय **निर्णय दिनांक:–** 19.03.202

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद उदघोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0 नं0 718/444 रकबा 30 बीघा कृषि भूमि वाकै ग्राम खटवा पटवार हल्का खटवा भू. अ. निरीक्षक. बिलौना कलां तहसील लालसोट स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजी के हिस्से 1/4 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी गण संख्या 1 सगें मां जाए भाई हे। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज खातेदारी हिस्सा 1/4 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, प्रत्येक का बराबर– बराबर हिस्सा 1/12, 1/12, 1/12 निहित है। मौके पर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक लालसोट

वादीगण एवं प्रतिवादी अपने पिता के जीवनकाल से ही अपने– अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज खातेदारी भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रामचन्द्र ने वादीगण के नाबालिक अवस्था में ही अपनी स्व0 अर्जित आय से खरीद कर अपने सबसे बड़े पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कर्ता खानदान होने के कारण खातेदारी अंकन करवाया था, जबकि उक्त खरीद शुदा भूमि में वादीगण का भी विधिक रूप से हिस्सा होने के कारण उपरोक्त वर्णित आराजी वादग्रस्त के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज खातेदारी हिस्सा 1/4 का विलोपन किया जाकर वादीगण को 1/4 का 1/3 अर्थात बराबर – बराबर 1/12, 1/12 के खातेदार काश्तकार उद्घोषित फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या – 2 बावजूद तामिल उपस्थित नही आने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या – 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा हाजिर आये तथा इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। तत्पश्चात् पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। साक्ष्य – वादी के रूप में शपथ पत्र साक्ष्य वादी PW – 1 वादी श्रीनारायण पुत्र रामचन्द्र तथा PW – 2 खिलारी पुत्र रामचन्द्र पेश किये गये जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किये गये। पत्रावली दिनांक 2.03.21 को अन्तिम बहस हेतु रखी गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी गण संख्या – 1 के पिता द्वारा करीबन 50 वर्ष पूर्व अपनी कमाई से क्रय कर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवा दी जबकि वादीगण भी उक्त आराजीयात् में समान हिस्से के हकदार है। मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 बराबर – बराबर हिस्से पर 1/12,1/12,1/12 काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादीगण का उक्त कब्जा शुरू से ही बरकरार हैं। अतः वादीगण को खातेदारी दी जाये। अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श – 1 जमाबन्दी सम्वत् 2075 – 2078 ख.नं. 718/444 ग्राम खटवा प्रदर्श : 2 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 ग्राम खटवा ख0 नं0 386 व प्रदर्श – 3 जमाबन्दी सम्वत् 2022 – 25 पेश की जो शामिल मिसल की गई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कब्जा के आधार पर मालिकाना हक प्राप्त करने सम्बन्धी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए NEWS CLICK 08 अगस्त 2019 की एक छाया प्रति भी पेश की है।अधिवक्ता प्रतिवादी ने अधिवक्ता वादी के कथनों का समर्थन करते हुए मुताबिक वादपत्र उद्घोषणा फरमाये जाने पर कोई आपत्ति नही जताई। अधिवक्ता प्रतिवादी ने कहा कि वादीगण का वाद मुताबिक वाद – पत्र डिक्री कर दिया जावे तो प्रतिवादी को कोई ऐतराज नही है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक लालसोट

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्तागणों की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर कर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया । वादी के वाद पत्र, बहस अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण एवं जमाबन्दी सम्वत् 2022–25 ग्राम– खटवा ,के आधार पर वादग्रस्त आराजी ख.नं. 718/444 रकबा 30 बीघा हिस्सा 1/4 प्रतिवादी नं. 1 की खरीद शुदा भूमि हैं एवं प्रतिवादी छीतर पुत्र रामचन्द्र उक्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है लेकिन प्रतिवादी सं. 1 द्वारा इकबालिया जवाब पेश कर सहमति प्रस्तुत की है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज खातेदारी हिस्सा 1/4 का विलोपन किया जाकर वादीगण को 1/4 का 1/3 अर्थात् बराबर–बराबर 1/12 – 1/12 के खातेदार काबिज काश्तकार उदघोषित किया जाता हैंतो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नही है। अतः उभयपक्षकारो की सहमति व राजकीय हितों को मध्येनजर रखते हुए हमारी राय में वादी का वाद पत्र नियमानुसार स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क अदा किये जाने के पश्चात् आपसी सहमति के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

आराजी खसरा नं. 718/444 रकबा 30 बीघा वाकै ग्राम खटवा , पटवार हल्का खटवा , भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिलौनाकलां तहसील लालसोट में स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादीगणों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज खातेदारी हिस्सा 1/4 का विलोपन किया जाकर वादीगणों व प्रतिवादी सं. 1 कों 1/4 का 1/3 अर्थात् बराबर–बराबर हिस्सा क्रमशः 1/12, 1/12, 1/12 का खातेदार उद्घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है कि वादीगणों द्वारा नियमानुसार पंजीयन एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क अदा किये जाने पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार लालसोट को पालना हेतु निर्णय व डिक्री की प्रति के साथ तहरीर जारी हो।

निर्णय मेंरे द्वारा आज दिनांक 19.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मिथलेश मीना)
सहायक कलक्टर
लालसोट

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लालसोट